ग्राम पंचायत टंग नरवाणा, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176052 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत टंग नरवाणा, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•सं•	नाम	अवधि
1	श्री संतोष कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

सचिव :–

क्र•सं•	नाम	अवधि
1	श्री संजीवन कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

तकनीकी सहायक :–

क्र•सं•	नाम	अवधि
1	श्री रोहित कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•सं•	नाम	अवधि
1	श्री विशाल कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत टंग नरवाणा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही एवं बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	1.39
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	16.39
3	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.13
4	7.2	दुकानों के किराये की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.79
5	7.4	स्वच्छता शुल्क वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.25
6	8	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.02
7	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	1.33
8	9.2	क्रय प्रत्येक सामान का स्टॉक/स्टोर रजिस्टरों में लेखांकन न करना	0.12
9	9.3	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	0.53
10	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	2.39
11	16.1, 16.2 व 16.4	अंकेक्षणापत्ति उपरान्त वसूली गई राशि	0.12

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/204 दिनांक—29.03.2025 द्वारा केवल अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के अनिर्णीत पैरों पर ही कार्यवाही करते हुये केवल 8 पैरों की अनुपालना का सत्यापन करवाया गया तथा शेष बचे 27 पैरों के निस्तारण हेतु किसी

प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। यह अति गम्भीर चूक है, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करती है। अतः प्राथमिकता के आधार पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष 27 पैरों के साथ–साथ वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित अंकेक्षण आपतियों पर भी अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः–

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क्र0 सं0	पैरा सं.	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	05	अनिर्णीत	–
2.	5.1	अनिर्णीत	–
3.	5.3	अनिर्णीत	–
4.	6(ग)	अंशतः अनिर्णीत	(₹7500 टॉवर शुल्क की वसूली उपरान्त)
5.	7	अनिर्णीत	–
6.	9	अनिर्णीत	–
7.	10	अनिर्णीत	–
8.	11	अनिर्णीत	–
9.	12	अनिर्णीत	–
10.	13	अनिर्णीत	–
11.	14	अनिर्णीत	–

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	अनिर्णीत	–
2.	4 क,ख	स्वतःनिर्णीत	वित्तीय स्थिति
3.	4.1,4.2	अनिर्णीत	–
4.	4.3,4.4	अनिर्णीत	–

5.	5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
6	6(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	—
7	6.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
8	6.2	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
9	6.3	अनिर्णीत	—
10	6.4	अनिर्णीत	—
11	7	अनिर्णीत	—
12	8	अनिर्णीत	—
13	9	अशतः निर्णीत	क्रम संख्या 1,2,3,5,6 व 7 की राशि ₹10694 की वसूली करने उपरांत दिनांक 09.07.2024 को तथा क्रम संख्या 8 की राशि ₹1213 की वसूली करने उपरांत दिनांक 20.03.2024 को खाता संख्या 50074366977 में जमा करवा दी गई है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।
14	10	निर्णीत	राशि ₹1000 की वसूली करने उपरांत दिनांक 09.07.2024 को खाता संख्या 50074366977 में जमा करवा दी गई है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।
15	10.1	अनिर्णीत	—
16	11	अनिर्णीत	—
17	12	अनिर्णीत	—
18	13	अनिर्णीत	—
19	14	अनिर्णीत	—
20	15	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
21	16	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत टंग नरवाणा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09.04.2025 से 21.04.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार

पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:—

वर्ष	आय	व्यय
2023—25	03/2025	09/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/254 दिनांक—21.04.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2025/229 दिनांकः—09.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया हैः—

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4—5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2024-25	953326.71	234499	1187825.71	241460.00	946365.71

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4—5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2024-25	1617055.89	5766805.67	7383861.56	5744766.96	1639094.60

कुल योग (1+2) 946365.71+1639094.60=**2585460.31**

(ख).बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹25,85,460.31 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट—3**" के अनुसार अन्तशेष ₹24,46,226.72 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत	का•के•सह•टंग नरवाणा	50074366977	945494.71
2	5वां वित	का•के•सह•टंग नरवाणा	20002115524	111367
3	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•टंग नरवाणा	50074366988	716273
4	एस.डी.पी	का•के•सह•टंग नरवाणा	50074366955	167529
5	एम.पी.लेड	का•के•सह•टंग नरवाणा	50074366795	23612
6	एम.एम.जी.पी.वाई	का•के•सह•टंग नरवाणा	50074366933	12444
7	एस.बी.एम.गारबेज	का•के•सह•टंग नरवाणा	50075227581	54863
8	15वाँवित्त/पी. एस/ जेड.पी	पी•एन•बैंक योल	6710000100065433	397189.01
9	एल.ए.डी.ए	पी•एन•बैंक योल	6710000100021712	0
10	आर.जी.एस.ए	इंडसएन बैंक धर्मशाला	100203852281	16584
11	हस्तगत शेष दिनांक 31.03.2025 को सभा निधि की ऑनलाईन रोकड बही के अनुसार			871
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 को कुल योगः—				₹2446226.72

दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी :—	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः—	₹2585460.31
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2025 का अन्तशेषः—	₹2446226.72
अन्तरः—	139233.59

नोटः— अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹1.39 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत टंग नरवाणा द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1,39,233.59/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा—4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/231 दिनांकः—10.04.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— टंग नरवाणा 02/2025—26 दिनांकः—21.04.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार, गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज अंकेक्षणापत्ति की अनुपालना में सुधारात्मक कार्यवाही न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त

राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹9,52,381.71 से ₹9,45,494.71 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना सख्यां राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/253 दिनांकः 21.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– टंग नरवाणा 02/2025–26 दिनांक 21.04.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की राशि ₹16.39 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2029/229 दिनांकः–09.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹16,39,094.60/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	5वाँ वित्त	31.03.2025	111367
2	वी.के.वी.वाई.एन	31.03.2025	716273
3	एम.एम..जी.पी.वाई	31.03.2025	12444
4	आर.जी.एस.ए	31.03.2025	16584
5	एस.बी.एम गारवेज	31.03.2025	54863
6	एम.पी.लेड	31.03.2025	23612

7	एस.डी.पी	31.03.2025	167529
8	13वॉं वित्त	31.03.2025	139233.59
9	15वॉं वित्त / पी.एस / जेड.पी	31.03.2025	397189.01
		कुल जोड़	**1639094.60**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग / व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 233 दिनांक–11.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–टंग नरवाणा 02 / 2025–2026 दिनांकः–21.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः–

7.1 सम्पति कर / गृहकर की ₹0.13 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय / अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां0 / 2025 / 229 दिनांकः–09.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर / गृहकर के रूप में ₹12720 / – की राशि दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पतिकर / गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/234 दिनांकः–11.04.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–टंग नरवाणा 02/2025–26 दिनांकः–21.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

दुकानों के किराये से आयः–

7.2 दुकानों के किराये की बकाया ₹0.79 लाख का वसूली हेतु शेष होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को देय व प्राप्त राजस्व का ब्यौरा पंचायत के निधि लेखों मे शुद्ध तथा तत्परता व नियमित रूप से निर्धारित वसूली करना तथा जमा किये/निकाले गए और अपने अधीन सभी स्त्रोतो जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, का लेखा जोखा प्रारूप 10 में मांग व संग्रहण रजिस्टर में तैयार किया जाएगा व हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां /2025/232 दिनांकः–10.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक दुकानों के किराये की राशि ₹78925/– की राशि वसूली हेतु शेष थी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर का न तो वार्षिक आधार पर और न ही माहवार अनुरक्षण किया गया था। जिसके अभाव में दिनांक 31.03.2025 को दुकान किराया वसूली हेतु शेष की सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत द्वारा इस किराये की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई गई थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित वसूली हेतु गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व बकाया इसी तरह बढ़ता रहा तो एक समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो सकता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/236 दिनांकः—11.04.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—टंग नरवाणा 02/2025—26 दिनांकः—21.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस राशि की वसूली कर ली जाएगी तथा उक्त से संबंधित मांग व सग्रहण रजिस्टर को तैयार करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर उपरोक्त नियमो के प्रतिकूल व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की उपरोक्त नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्रतिमास के आधार पर की जानी सुनिश्चित की जाए व प्ररूप 8 के अनुसार प्राप्ति व बकाया ब्यौरा तैयार करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त बढ़ते बकाया पंचायत राजस्व का मामला पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक जॉंच उपरान्त यथास्थिति नियमानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

7.3 दुकानों के किराया वसूली करने हेतु उचित प्रक्रिया पालन किये बिना पंचायत परिसर को किराये पर देने से संभावित राजस्व हानि बारेः—

निदेशक एवं विशेष सचिव पचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच—एचसी (7)10/80 दिनांक 17.09.2008 के अनुसार ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरो को किराये पर देने के लिये निम्न कमेटी गठित की जाएगीः—

1.उपमण्डलाधिकारी/तहसीलदार (अध्यक्ष)

2.खण्ड विकास अधिकारी (सदस्य)

3.प्रधान संबंधित ग्राम पंचायत (सदस्य)

4.पंचायत निरीक्षक (सदस्य)

5.पंचायत सचिव/पंचायत सहायक (सदस्य—सचिव)

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत संबंधित किरायेदार के साथ अनुबंध करेगी जिसमें ग्राम पंचायत निम्न शर्ते निर्धारित करेगीः—

1.संबंधित व्यावसायिक परिसरों/भवनो का किराया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरो से कम न हों।

2.किराये में वृद्धि का प्रावधान किराया नियन्त्रण अधिनियम के अनुरूप हों।

3.यदि किरायेदार किराया नहीं देता है या परिसर को नुकसान पहुचाता है तो परिसर को 30 दिन की अवधि के अंदर खाली करने का प्रावधान रखा जाए।

4.किरायेदार को परिसर को आगे किसी व्यक्ति को किराये पर देने का अधिकार न हो और न ही उसे उसके उपयोग को परिवर्तित करेगा।

5.किरायेदार परिसर में किसी प्रकार निर्माण/परिवर्तन/अतिक्रमण नहीं करेगा।

6.संबंधित व्यावसायिक परिसरों/भवनो को किराये पर देने से पूर्व में पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा व्यावसायिक परिसरों/भवनो को किराये पर खुली बोली से दिया जाएगा।

7.व्यावसायिक परिसरों/भवनो के पानी/बिजली के बिलो की अदायगी किरायेदार द्वारा की जाएगी

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा पंचायतों के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने सम्बन्धी जारी उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की गई थी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां /2025/236 दिनांकः–11.04.2025 के प्रत्युत्तर में, पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँकः– टंग नरवाणा 02/2025–2026 दिनाँक 21.04.2025 द्वारा अंकेक्षण के दौरान सूचित किया कि पंचायत द्वारा संचालित 14 दुकानों को अंकेक्षण अवधि के दौरान किराये पर देते समय किरायेदारों के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था तथा न ही समिति का निर्माण किया गया। यह एक बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इसके अभाव में यदि भविष्य में पंचायत को कोई वित्तीय हानि होती है तो यह चूककर्ताओं का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां /2025/252 दिनांकः–21.04.2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँकः– टंग नरवाणा 02/2025–2026 दिनाँक 21.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि इस संबंध में भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है पंचायत हितों को सुरक्षित करने के लिये समय–समय पर जारी आदेशो–निर्देशों अनुसार अपेक्षित कदम यथाशीघ्र उठाया जाना सुनिश्चित करके किरायेदारों के साथ नियमानुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाये ताकि भविष्य में किराया वसूली में दिक्कत न आये व कृत अपेक्षित सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.4 स्वच्छता शुल्क की ₹0.25 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना व संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि•प्र• पँचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 के उपनियम (3)(ii) के अनुसार पंचायत की गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, साफ–सफाई, **स्वच्छता ठोस और तरल**

अपशिष्ट प्रबंधन, वाहनों की पार्किंग के लिये प्रस्ताव के तहत सभा क्षेत्र में सेवा शुल्क उदगृहित करने का अधिकार है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/229 दिनांकः–09.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "9"** पर संलग्न सूचना के अनुसार स्वच्छता शुल्क के रूप में ₹25250/– की राशि दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 13.07.2022 के तहत निर्णय लिया गया था कि,स्वच्छता समीति वेस्ट वॉरियर्स एन.जी.ओं के माध्यम से प्रत्येक यूनिट(घर,होटल,ढाबा,दुकानो)से ₹50 प्रति मास स्वच्छता शुल्क की वसूली की जाएगी,जबकि अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा ठेकेदारो के माध्यम से वसूली करवाई गई। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता शुल्क से संबंधित अभिलेख, यूनिटो की संख्या श्रेणी बार ,मांग व बकाया इत्यादि का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "9"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष राशि, अथशेष, यूनिटों की संख्या, अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/251 दिनांकः–21.04.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–टंग नरवाणा 02/2025–26 दिनांकः–21.04.2025 द्वारा आंकडो व तथ्यो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि ,उक्त स्वच्छता शुल्क की बकाया राशि की वसूली कर ली जाएगी व इसके मांग व संग्रहण से संबंधित तथा अन्य संबंधित अभिलेखों का उक्त अवधि के दौरान अनुसंधारण नहीं किया गया, जिन्हे भी तैयार करने उपरांत अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उपरोक्त मामले के सम्बन्ध में नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित मांग व प्राप्ति रजिस्टर तैयार करके व समस्त आवश्यक अभिलेखों का रख–रखाव रखना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.02/–लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना व सभा निधि में अनियमित जमा करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः–04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर

से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या ''0070–60–108–01'' में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/229 दिनांकः–09.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट ''6''** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत टंग नरवाणा द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹2000/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा न करवाकर पंचायत के निधि खाते में जमा करवाया गया था, जिससे कि सरकारी कोष को प्राप्त आय के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/235 दिनांकः–11.04.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत टंग नरवाणा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– टंग नरवाणा 02/2025–2026 दिनांकः–21.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सभा निधि में जमा करवाया गया ,जिसे सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति उपरांत सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.33 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत टंग नरवाणा के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट ''8''** के अनुसार ₹132903/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित

व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

इस अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/202/246 दिनांकः—19.04.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—टंग नरवाणा 02/2025—26 दिनांकः—21.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस पुनरावृति/दोहराई गई अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षणावधि में इस प्रकार कृत समस्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹0.12 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत टंग नरवाणा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरो के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट—"8"** पर संकलित राशि ₹12400/— के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। फलस्वरूप स्टोर/स्टॉक के दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/247 दिनांकः—19.04.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— टंग नरवाणा 02/2025—2026 दिनांकः—21.04.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का पारदर्शी एवं उचित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹0.53 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनाँक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण व सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹52700/– का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम ,प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/249 दिनांकः–21.04.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– टंग नरवाणा 02/2025–2026 दिनांकः–21.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व अनभिज्ञता में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म को प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है ,प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया, क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा

ऐसे सभी प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹2.39/– लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 09/2024 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹2,39,186/–**का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका:–

क्र0सं0 व अनुदान	**वाउचर सं0/ दिनांक**	**बिल संख्या/ दिनांक**	**कार्य का नाम**	**भुगतान राशि (₹)**	**वांछित अभिलेख**
1.सभा निधि	पी/16/ 17.09. 2024	008/07.07. 2024	अतिरिक्त व समापन लोक मित्र केन्द्र ग्राम पंचायत टंग नरवाणा वार्ड–3	11810	माप–पुस्तिका, प्ररूप 34
2.वी.के.वी. एन.वाई	पी/06/ 17.09. 2024	013/01.09. 2024	निर्माण किचन शैड वार्ड–3	64635	प्रस्ताव , माप–पुस्तिका, प्ररूप 34
3.एस.डी.पी	पी/01/ 04.09. 2024	372223/03. 09.2024	निर्माण टाईलस वर्क मौजूदा रास्ता रमेहड लिंक रोड से श्रीधर पठानियां और कृष्ण ठाकुर के घर तक मछन गांव वार्ड–2	8998	स्वीकृति पत्र,माप–पुस्तिका ,प्ररूप 34
4.एस.डी.पी	पी/02/ 04.09. 2024	372224/03. 09.2024	निर्माण सुरक्षा दीवार दोनो तरफ नाला किशोरी लाल घर, शेखर के घर की ओर वार्ड 2	21677	प्रस्ताव ,स्वीकृति पत्र,प्राक्कलन,माप –पुस्तिका, प्ररूप 34
5.एस.डी.पी	पी/05/ 17.09.	372229/11. 09.2024	निर्माण प्रवाह सिंचाई स्कीम खेरून कुल्ह में मेन चेनल	20450	प्रस्ताव ,प्राक्कलन,माप–

	2024		वार्ड–4		पुस्तिका, प्ररूप 34
6.आर.जी. एस.ए	पी/03/ 17.09. 2024	007/06.07. 2024	निर्माण लोक मित्र केन्द्र ग्राम पंचायत टंग नरवाणा वार्ड–3	8125	माप–पुस्तिका, प्ररूप 34
7.15वां वित	पी/08/ 17.09. 2024	372248/12. 09.2024	सौंदर्यकरण बाबडी नजदीक वार्ड 4	11861	माप–पुस्तिका, प्ररूप 34
8.मनरेगा	निल/20. 09.2024	मस्ट्रोल 2306	नवीनीकरण नई कुल्ह मनून से लेकर गांव खडड की ओर वार्ड 5	4230	माप–पुस्तिका
9.मनरेगा	निल/08. 09.2024	मस्ट्रोल 1924,1925,2340,2341	नवीनीकरण त्रिंगुल कुल्ह गांव टंग नरवाणा वार्ड 4	52035	माप–पुस्तिका
10.मनरेगा	निल/08. 09. 2024,20. 09.2024	मस्ट्रोल 1926,2307,2308	नवीनीकरण मछुल कुल्ह जमुला गांव से डंगा वार्ड 5	35365	माप–पुस्तिका
			कुल योग	**239186**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत टंग नरवाणा से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/248 दिनांकः–21.04. 2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–टंग नरवाणा 02/2025–2026 दिनांक 21.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वांछित अभिलेख बजट प्राक्कलन, माप–पुस्तिकाओं, प्रस्ताव व प्रपत्र 34 इत्यादि को वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिन्हे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये तथा हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii)

की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 अग्रिम भुगतान राशि ₹0.01/– लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फॉर्म–9 में अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करने उपरान्त किये गए अग्रिमों का वितीय वर्ष के अन्त में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपॅरिशन को सीमेंट के क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार राशि ₹1200/– का अग्रिम प्रदान किया गया, लेकिन 31.03.2025 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया था तथा उसके समायोजन से संबंधित अभिलेख को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गयाः–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर/दिनांक/बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	अग्रिम भुगतान (₹)	समायोजित राशि (₹)	असमायोजित राशि (₹)
1	एस.डी.पी	01/04.09.2024/372223/03.09.24,374031/05.11.24	मै0 हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	8998 (22@409)	8967 (21@427)	31
2	एस.डी.पी	02/04.09.2024/372224/03.09.24,374158/24.12.24	मै0 हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	21677 (53@409)	21350 (50@427)	327
3	एस.डी.पी	04/04.09.2024/372226/03.09.24,374014/28.10.24	मै0 हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन	सीमेंट बैग	18405 (45@409)	18361 (43@427)	44

			खनियारा				
4	15वा वित	06 / 17.09. 2024 / 372249 / 12.09. 24,374035 / 06. 11.24	मै0 हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	12270 (30@409)	11956 (28@427)	314
5	15वा वित	06 / 17.09. 2024 / 372250 / 12.09. 24,374015 / 28. 10.24	मै0 हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	15951 (39@409)	15799 (37@427)	152
6	15वा वित	08 / 17.09. 2024 / 372248 / 12.09. 24,374163 / 24. 12.24	मै0 हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	11861 (29@409)	11529 (27@427)	332
						कुल	1200

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 250 दिनांकः–21.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– टंग नरवाणा 02 / 2025–2026 दिनांकः– 21.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि हि0प्र0 सिविल सप्लाई कारपोरेशन खनियारा को किये गये अग्रिम भुगतान के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख को तैयार करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके तथा नियमानुसार अग्रिम समायोजन रजिस्टर को भी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹8.71 लाख का अनियमित भुगतान करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 09/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹8,71,050/— का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/253 दिनांक:—21.04.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत टंग नरवाणा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—टंग नरवाणा 02/2025—26 दिनांक:—21.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि संयुक्त हस्ताक्षरों से संबंधित अनियमितता के नियमों की वतर्मान समय से अनुपालना की जा रही है।

अत: नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "10 व 11" व **परिशिष्ट 7 व 8** के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं:—

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप—पुस्तिका ,तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार जब कोई भुगतान किया जाता है या कार्य को मापा जाता है, तो माप दर्ज करने वाली

पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर तिरछी लाल स्याही कर रेखाएं बना दी जाएंगी और भुगतान वाउचर की संख्या का संदर्भ देते हुए लागत के सार पर पृष्ठाकन किया जाएगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/253 दिनांक:– 21.04.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत टंग नरवाणा को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– टंग नरवाणा 02/2025–2026 दिनांक:–21.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यो से सम्बन्धित विभिन्न अनियमितताओं की नियमानुसार वतर्मान समय से अनुपालना की जा रही है।

अत: उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/229 दिनांक: 09.04.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– टंग नरवाणा 02/2025–2026 दिनांक:–21.04.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, फलस्वरूप लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

1.हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	—	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी

5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	माप–पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
13	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

2.हि• प्र• पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	अनुदान रजिस्टर	8	34
2	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/229 दिनांकः–09.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–टंग नरवाणा 02/2025–2026 दिनांकः–21.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

16.1 दुकानो के किराये से प्राप्त आय राशि ₹0.05/- लाख को बैंक में जमा न करवाने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को संबंधित बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

सभा निधि की ऑनलाईन रोकड़ बही के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹5400/- ग्राम पंचायत द्वारा रोकड बही में नकदी जमा के रूप मे दर्शाई गई, जबकि उक्त राशि कीं बैंक में जमा होने की प्रविष्टि नहीं पाई गईः–

क्र0सं0	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या व दिनांक जिसके अंतर्गत नकदी जमा दर्शाई गई	नकदी जमा दर्शाई गई राशि (₹)	बैंक में जमा नहीं हुई राशि (₹)
1	28/18.01.2025	5400	5400

उक्त जमा न की गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/237 दिनांकः–11.04.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत टंग नरवाणा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 247778 द्वारा करने उपरान्त सभा निधि खाता संख्या 50074366977 में दिनांक 21.04.2025 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

16.2 राशि ₹0.06/- लाख की आय का रोकड़ बही में लेखांकन न करना व बैंक में जमा न करवाने बारे:–

पंचायत द्वारा प्राप्त आय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार राशि ₹5778/– की आय को या तो रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया अथवा कम लेखाँकित किया गया व न हीं बैंक मे जमा करवाया गया:–

क्र.स.	दिनाँक	रसीद संख्या	विवरण	कम जमा आय (₹)
1	28.03.2025	247743	मै0 जोगिन्द्र प्रसाद से प्राप्त वोल्डर की रॉयल्टी राशि ₹5578 को लेखाँकित नहीं करना	5578
2	22.03.2025	247408 से 247410	सम्पतिकर/गृहकर से प्राप्त राशि ₹300 के स्थान पर ₹100 लेखाँकित करना।	200
			कुल योग	**₹5778**

उक्त लेखांकित व जमा न की गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/245 दिनांक:–19.04.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत टंग नरवाणा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 247779 द्वारा करने उपरान्त सभा निधि खाता संख्या 50074366977 में दिनांक 21.04.2025 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी अंकेक्षण के दौरान ही पुष्टि कर ली गई है।

अतः इस प्रकार की चूक भविष्य में न दोहराया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

16.3 बिल में गणना की त्रुटि के कारण आपूर्तिकर्ता को राशि ₹818/– का अधिक भुगतान करना :–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया था:–

अनुदान	वाउचर सं0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
एस.डी.पी	पी/03/ /04.09. 2024	मै0 हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	2863 (7@409)	3681	818

उपरोक्त बिल में गणना की त्रुटि के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹818/– का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/253 दिनांकः– 21.04.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–टंग नरवाणा 02/2025–2026 दिनांकः–21.04.2025 द्वारा आंकडो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि, उक्त राशि का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण का दिये गए आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। अतः यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति न हो, सुनिश्चित करके अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16.4 पंचायत सदस्य को मस्ट्रोल तथा मीटिंग का दोहरा भुगतान करने बारे :–

चयनित माह के मनरेगा व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत सदस्य को निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोल तथा मीटिंग का दोहरा भुगतान किया गया:–

क्र0सं0	पंचायत सदस्य	मीटिंग/मस्ट्रोल दिनांक जिसका भुगतान किया गया	मस्ट्रोल संख्या	राशि जिसकी वसूली की गई (₹)
1	अनिता देवी	07.09.2024	2265	750

उक्त की वसूली रसीद संख्या 247781 द्वारा करने उपरान्त सभा निधि खाता संख्या 50074366977 में दिनांक 21.04.2025 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी अंकेक्षण के दौरान ही पुष्टि कर ली गई है।

16.5 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरो पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2024–25 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपति विवरणिका**:– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्ष**:– लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

3 0 JUN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

4050 – 4054

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)100/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत टंग नरवाणा, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

3 0 JUN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

ANNEXURE -1(पैरा संख्या-"4.1(क)")

FINANCIAL POSITION OF GP TANG NARWANA BLOCK DHARAMSHALA(H.P)-176052 FOR THE YEAR 2024-25

1 OWN SOURCES

Sr No	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	2024-25	953326.71	234499	1187825.71	241460.00	946365.71

2 GRANTS-IN-AID

Sr No	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	2024-25	1617055.89	5766805.67	7383861.56	5744766.96	1639094.60

PRADHAN SECY.
GRAM PANCHYAT TANG-NARWANA
DEV BLOCK DHARAMSHALA (H.P)

ANNEXURE -2(पैरा संख्या-" 6 ")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP TANG NARWANA FOR THE YEAR 2024-2025

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2024-25	598629	961500	1560129.00	843856.00	716273.00
2	SDP	2024-25	125564	511382	636946.00	469417.00	167529.00
3	MPLAD	2024-25	49959	55758	105717.00	82105.00	23612.00
4	MMGPY	2024-25	23027.00	563	23590.00	11146.00	12444.00
5	15TH FC	2024-25	322659.01	950915	1273574.01	876385	397189.01
6	5TH SFC	2024-25	208763	426664	635427	524060	111367.00
7	RGSA	2024-25	55556	903	56459	39875	16584.00
8	SBM-GARBAGE	2024-25	93512	131126	224638	169775	54863
9	GRDY	2024-25	117	1	118	118	0
10	13TH FC	2024-25	139233.59	0	139233.59	0	139233.59
11	VMJSY	2024-25	36.29	10	46.29	46.29	0
12	NREGA	2024-25	0	2727983.67	2727983.67	2727983.67	0
Total			1617055.89	5766805.67	7383861.56	5744766.96	1639094.60

PRADHAN SECY.

GRAM PANCHYAT TANG-NARWANA

DEV BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

29

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या "4.1(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत टंग नरवाणा विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176052

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत टंग नरवाणा के दिनांक 01-04-2024 व 01-03-2025 को बैंक शेष:-

क्र. सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2024 को	बैंक शेष 31-03 -2025 को
01	स्वयं सत्रोत	के. सी .सी. बैंक टंग नरवाणा	50074366977	952381.71	945494.71
02	पांचवा वित्	के. सी .सी. बैंक टंग नरवाणा	20002115524	208763	111367
03	वी.के.वी.एन.वाई	के. सी .सी. बैंक टंग नरवाणा	50074366988	598629	716273
04	एस.डी.पी	के. सी .सी. बैंक टंग नरवाणा	50074366955	125564	167529
05	एम.पी.लेड	के. सी .सी. बैंक टंग नरवाणा	50074366795	49959	23612
06	ऍम. ऍम. जी. पी. वाई.	के. सी .सी. बैंक टंग नरवाणा	50074366933	23027	12444
07	एस. बी. ऍम.गारवेज	के. सी .सी. बैंक टंग नरवाणा	50075227581	93512	54863
08	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	पी.एन.बैंक योल	6710000100065433	322659.01	397189.01
09	ल. ए. डी .ए.	पी.एन.बैंक योल	6710000100021712	0.9	0
10	जी. आर. डी. बाई.	पी.एन.बैंक योल	6710000100014475	117	0
11	वी. ऍम. जे0 एस.	पी.एन.बैंक योल	6710000100021828	36.29	0
12	आर. जी स.ए.	इंडसएन बैंक धर्मशाला	100203852281	55556	16584
13	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			945	871
			कुल योग	2431149.91	2446226.72

PRADHAN SECY.

GRAM PANCHYAT TANG-NARWANA

DEV BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

30

परिशिष्ट -04(पैरा संख्या "7.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत **टंग नरवाणा विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176052**

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम टंग नरवाणा में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2024-25 में 489 परिवारों में सभी परिवारों से 100/- रूपये की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	5720	489	100	48900	54620	41900	12720

PRADHAN SECY.

GRAM PANCHYAT TANG-NARWANA

DEV BLOCK DHARAMSHALA (H.P)

परिशिष्ट -05(पैरा संख्या "7.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत **टंग नरवाणा, विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176052**

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम पंचायत टंग नरवाणा में वसूली हेतू शेष दुकानों का किराया :-

पंचायत क्षेत्र में कुल 14 दुकानों के सभी दुकानदारो से 600/- रूपये प्रति मास की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	85225	108000	186025	107100	78925

GRAM PANCHYAT TANG-NARWANA
DEV BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

परिशिष्ट " 6 "(पैरा संख्या " 8 " में संदर्भित)							
ग्राम पंचायत टंग नरवाना, विकास खण्ड धर्मशाला, प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि							
क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि	टिप्पणी
1	श्री मुनीष कुमार सपुत्र सुरिन्दर कुमार	21/10/2024	13/11/2024	200	200	0	R/N 139904 Date-13-11-2024
2	श्री अतुल वालिया सपुत्र रविन्दर वालिया	11-03-2024	21/11/2024	200	200	0	R/N 139907 Date-21-11-2024
3	श्री मनोज कुमार सपुत्र ओम राज	29/10/2024	01-10-2025	400	400	0	R/N 139924 Date-10-01-2025
4	श्री सन्नी भट्ट सपुत्र जोगिन्दर कुमार	25/11/2024	17/01/2025	400	400	0	R/N 139928 Date-17-01-2025
5	श्री अमित कुमार सपुत्र प्यारे लाल	12-07-2024	13/02/2025	400	400	0	R/N 247411 Date-13-02-2025
6	श्री प्रवीन कुमार सपुत्र परसोतम लाल	24/01/2025	13/02/2025	200	200	0	R/N 247407 Date-13-02-2025
7	श्री आकाश सपुत्र रविन्दर कुमार	20/02/2025	17/03/2025	200	200	0	R/N 247519 Date-17-03-2025
	Total			₹ 2,000.00	₹ 2,000.00		

PRADHAN SECY.
GRAM PANCHYAT TANG-NARWANA
DEV BLOCK DHARAMSHALA (H.P)

83

परिशिष्ट–7 पैरा संख्या–"9.3"

कार्यालय ग्राम पंचायत टंग नरवाणा विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला कांगडा द्वारा हि0प्र0 –176052 द्वारा कय खनन निर्माण सामग्री								
क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा/ प्रति धन फुट	दर	राशि
1	VKVNY	06/17.09.24	M/S JOGINDER PRASAD BALLA JADRANGAL KARDIANA	013/01.09.24	BOULDER	180	34.00	6120.00
2	MNREGA	NIL/18.09.24	M/S JOGINDER PRASAD BALLA JADRANGAL KARDIANA	002/10.05.24	SNAD CRASHER	270	54.00	14580.00
					AGG.	800	40.00	32000.00
					कुल योग			**52700.00**

नोटः–1.उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा **X** और **W** फॉर्म प्राप्त किए बिना ही कय की गई।

2. All figures are taken up to two decimal.

PRADHAN SECY

GRAM PANCHYAT TANG-NARWANA
DEV BLOCK DHARAMSHALA (H P)

परिशिष्ट--8 पैरा संख्या " 9.1 " 9.2

ग्राम पंचायत टंग नरवाणा विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना व स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.SF	13/03.09.2024	Brother Dep-T 220 Printer	1939/20.08.24	M/s Gravity Hardware Networking Solution D/Shala			14500	Joint Signature
2.SF	14/03.09.2024	Mother Board ,Window Install	498/20.08.2024	M/s Nrxt Generation Computer Baroh			8200	Quatation ,Stock Entry ,Joint Signature
3.SF	15/03.09.2024	Letter Pad,A4 Paper	046/22.08.24	M/s Briendera Printer Zamanabad Road Icchi			4200	Quatation ,Stock Entry ,Joint Signature
4.VKVNY	03/03.09.2024	TMT Sariya(8,10,12, 16MM) INC. GST 18%	2177/16.08.24	M/s Uttam Chand &Sons Kangra Road Gaggal			116098	Quatation ,Joint Signature
5.15TH FC	09/30.09.2024	30 littre Plastic Dustbin(INC. GST 18%)	393/20.09.2924	M/s Mast Ram &Sons Kangra	100	550	55000	Joint Signature
6.15TH FC	10/30.09.2024	30 littre Plastic Dustbin(INC. GST 18%)	395/21.09.2924	M/s Mast Ram &Sons Kangra	82	550	45100	Joint Signature
7.NREGA	Nil/18.09.2024	TMT Sariya(10,12MM) INC. GST 18%	15092/10.05.2024	M/s Uttam Chand &Sons Kangra Road Gaggal			4405	Quatation ,Joint Signature
						G/Total	247503.00	

नोट 1. क्रम संख्या 2, 3, 4 व 7 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया
2. क्रम संख्या 2 व 3 की स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत टंग नरवाणा
... धर्मशाला
(हि.प्र.)

परिशिष्ट -09(पैरा संख्या "7.5")

कार्यालय ग्राम पंचायत **टंग नरवाणा विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176052**

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम टंग नरवाणा में वसूली हेतू शेष स्वच्छता शुल्क फीस :-

वितीय वर्ष	अथशेष	यूनिटो की संख्या	स्वच्छता शुल्क /प्रतिमाह	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	4500	घर-245/ दुकान -1/ स्कूल -1/	50/ 100/ 200/	150600	155100	129850	25250

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत टंग नरवाणा
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

36